

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/खुली बिक्री/जोधपुर/2017/165

दिनांक : 24/5/17

आदेश

आवासीय अभियंता, खण्ड-चतुर्थ, जोधपुर के अधीन कुडी भगतासनी जोधपुर सेक्टर-4 के मध्यम आय वर्ग 'ब' (जी+3) के 14 फ्लेटों को पूर्व में आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1504/ दिनांक 03.03.2015 के द्वारा नीलामी के माध्यम से निस्तारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, द्वितीय, जोधपुर एवं मुख्य अभियंता-द्वितीय की अनुशंसा तथा मण्डल की 229 वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के निर्णय बिन्दु संख्या 229.21 के अनुसरण में नीलामी से पृथक करते हुए खुली बिक्री योजना के माध्यम से "जहाँ है जैसी स्थिति में" केवल नगद भुगतान पद्धति द्वारा निस्तारण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निस्तारित किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है :-

आय वर्ग एव योजना	निस्तारित किए जाने वाले फ्लेटों का नम्बर	कुल फ्लेटों की संख्या
मध्यम आय वर्ग-ब (जी+3), कुडीभगतासनी योजना सेक्टर-4, जोधपुर	4-Z-43, 4-Z-44, 4-Z-45, 4-Z-46, 4-Z-47, 4-Z-48, 4-Z-89, 4-Z-90, 4-Z-91, 4-Z-92, 4-Z-93, 4-Z-94, 4-Z-95, 4-Z-96	14

उक्त फ्लेटों का निम्न शर्तों पर केवल नगद भुगतान पद्धति में खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारण किया जाना है।

1. फ्लेटों (आवास) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त (आवासों) के अलावा सम्बन्धित स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट (आवास) खुली बिक्री हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेट (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से नियमानुसार किया जावेगा।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लंबित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।


 मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त.प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-चतुर्थ राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सम्बन्धित वृत्त/खण्ड कार्यालय को ई-मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, /नागरीक सेवा केन्द्र, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

On 20/08/2018
20/08/18